UPKS040054282019

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।
अंतिम रिपोर्ट वाद संख्या-451/2019

बृजेश कुमार बनाम गंगा प्रसाद

अपराध संख्या-227/2018
धारा-307,324,323,504 भा०द०सं०
थाना- मंझनपुर
जनपद- कौशाम्बी।

10.03.2026

पत्रावली पेश हुयी।

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाय।

सुना, पत्रावली व केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियोग पंजीकरण के उपरान्त विवेचक द्वारा वादी एवं अन्य गवाहान का बयान अन्तर्गत धारा-161 द०प्र०सं० किया गया तथा मुकदमा की तहरीरी विवेचना द्वारा वर्णित आधारों पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

मामले की वादी मुकदमा पर नोटिस तामील हुई। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा न्यायालय उपस्थित आया। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कथन किया गया कि उपरोक्त वाद में मैं वादी मुकदमा हूं। पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में एफ०आर० दाखिल किया गया है। मैं मुकदमे में बल नहीं देना चाहता हूं। मैं अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूं।

उपरोक्त सभी वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा केस डायरी व वादी मुकदमा के बयान के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा को अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तद्नुसार अंतिम रिपोर्ट सं०-451/2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम रिपोर्ट संख्या- 451/2019 बृजेश कुमार बनाम गंगा प्रसाद धारा-307, 324, 323, 504 भा०द०सं० थाना मंझनपुर जिला कौशाम्बी स्वीकार किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली अभिलेखागार में नियमानुसार संचित की जाये।

(सौम्या गिरि)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।
आई०डी०नंबर-यूपी 2208

Digitally signed by Saumya Giri
Date: 2026.04.07 15:33:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court